شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

विभिन्न धर्मो एवं जातियों के लोग जो रामपुर आयेगें उनको ठहरने का एक उचित स्थान प्राप्त हो सके किन्तु नवाब रजा अली खॉ (वाकिफ) की मंशा एवं उददेश्य के विपरीत मुतवल्ली द्वारा वक्फ भूमि पर भारी मुनाफा कमाने के उद्देश्य से शॉपिंग काम्पलैक्स का निर्माण कराने में अधिक रूचि दिखाई तथा मुसाफिरखाने के निर्माण को कागजात के ऊपर ही सीमित रखा। यदि उनके इस तर्क को मान लिया जाय कि दुकानों के निर्माण के उपरान्त प्रथम तल पर मुसाफिरखाने का निर्माण किया जाना था तो निर्माण कार्य कराने के लिए उन्हें दुकानों के साथ मुसाफिरखाने का प्रोजेक्ट भी तैयार करना चाहिए था ।यद्यपि 68 दुकानों की जारी अनुमति संदेहास्पद है फिर भी यदि इसे सत्य मान भी लिया जाय तो भी दिनांक 15-3-2002 को जबसे वर्तमान मुतवल्ली की नियुक्ति हुई है उनके द्वारा दुकानों के निर्माण में तो रूचि दिखाई गयी परन्तु 10 साल से अधिक का अरसा व्यतीत होने के उपरान्त भी मुसाफिरखाना निर्माण के लिए कोई भी कार्यवाही अंजाम नहीं दी गयी। इससे यह स्पष्ट होता है कि मुतवल्ली द्वारा वाकिफ की मंशा के विपरीत कार्य किया जा रहा है। इसीप्रकार जिलाधिकारी रामपुर द्वारा प्रेषित जॉच आख्या पत्र सं0 13 दिनांक 9-4-2012 में उल्लेख किया गया है कि वक्फ संख्या: I-1236 के नाम गाटा सं0 366/1 पर 17 व्यक्तियों तथा गाटा सं0 455 पर 47 कुल 64 व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया गया पाया गया। गाटा सं0 453 में 07 दुकानें बनी हुई है। गाटा सं0 454 में 77वर्ग मी0 पर तीन दुकानात बनी हैं शेष कर्बला है । गाटा सं0 496/1 में रास्ता चल रहा है,शेष खाली है। आख्या के साथ किराये की रसीदें भी संलग्न की गई हैं । इस जॉच आख्या के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि जहॉ एक ओर मुतवल्ली द्वारा वक्फ सम्पत्ति पर हो रहे अवैध कब्जों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं कराई गई वहीं वक्फ सम्पत्ति को अत्यन्त न्यून दरों पर किराये पर उठाया गया। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि मुतवल्ली द्वारा वक्फ अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है। अत: इसप्रकार मुतवल्ली न तो वक्फ अधिनियम और न ही वक्फनामें में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप कार्य कर रहे है।

अत: उपरोक्त तीनों विचारणीय बिन्दुओं पर उपरोक्तानुसार जो निष्कर्ष निकाले गये हैं उनके आधार पर निम्न आदेश पारित किये जाते है।

1. श्री नवाब काजिम अली खान द्वारा वक्फ संख्या: I-1546 एवं I-1236 की भूमि पर बोर्ड द्वारा निर्माण अनुमति की शर्तों, धारा-76(1) वक्फ अधिनियम एवं वक्फनामा की शर्तो का उल्लंघन करने तथा वक्फ

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

सम्पत्ति को अपार आर्थिक क्षति पहुंचा कर अपने निजी स्वार्थ में इस्तेमाल करने के कारण वक्फ सं0 I–1233 वक्फ बेगम साहिबा, वक्फ सं–I-1234 वक्फ मो0 सईद साहब, वक्फ सं0–I-1239 वक्फ मो0 अली खान, वक्फ सं0–I-1236 वक्फ कर्बला शरीफ, वक्फ सं0–I-1537 वक्फ मुकाबिर मोमिनीन, वक्फ सं0–I-1338 वक्फ इमाम , वक्फ सं0I-1546 हुसैनी सरांय रामपुर के मुतवल्ली पद से हटाया जाता है तथा इन औकाफ को धारा–65 वक्फ अधिनियम के अन्तर्गत सीधे नियंत्रण में लेते हुए श्री आले हसन, क्षेत्राधिकारी, नगर रामपुर को इन औकाफ का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। जो धारा–65 वक्फ अधिनियम में दी गई अवधि अथवा अग्रिम आदेशों, जो भी पहले हो, तक प्रशासक के रूप में वक्फनामा एवं वक्फ अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करेगें। इन औकाफ को सीधे नियन्त्रण में लेने के सम्बन्ध में शासकीय गजट में प्रकाशन कराया जाये।

2– चूँकि बोर्ड द्वारा जारी आदेश दिनांक 15–3–2002 जिसके अंतर्गत वक्फ हुसैनी सरांय वक्फ सं0 I-1546 पर 68 दुकानों के निर्माण की अनुमति दिये जाने का प्रकरण प्रथम दृष्टया संदेहास्पद पाया गया है, की विस्तृत/गहन जांच वर्तमान में बोर्ड में मुख्य कार्यपालक अधिकारी तैनात न होने के कारण संभव नहीं है। अतः इस प्रकरण को सक्षम अधिकारी से जॉच कराने हेतु शासन को संदर्भित कर दिया जाय। चूंकि वर्तमान निर्माणाधीन दुकानें सील्ड हैं तथा प्रकरण में जांच होनी है। अतः जांच के परिणाम आने पर इस विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा। ऐसी दशा में अग्रिम आदेशों तक प्रश्गत निर्माणाधीन दुकाने सील रहेंगी।

3– चूँकि मुतवल्ली द्वारा 98 दुकानों के निर्माण में वक्फ को रू0 54.14 लाख की हानि पहुँचाने का कार्य किया गया है परन्तु मौके पर अभी निर्माण कार्य अधूरा है। अतः जिलाधिकारी/अपर सर्वे आयुक्त वक्फ, जिला रामपुर से यह अनुरोध किया जाय कि मौके पर जितना निर्माण हुआ है उसकी लागत का आकलन करते हुए आकलित धनराशि को बोर्ड को संसूचित करें । इस प्रकार आकलित धनराशि को धारा 76(3) वक्फ अधिनियम में दिए गए प्राविधानों के अनुसार पदच्युत मुतवल्ली के व्यक्तिगत कोष से वसूल करने की कार्यवाई की जाये। इसके अतिरिक्त वक्फ संख्याः I–1236 में हुए निर्माण कार्य की लागत तथा उसमें निवेश के स्रोत एवं निर्माण एजेंसी की जांच भी करने हेतु भी ज़िलाधिकारी रामपुर से अनुरोध किया जाये।

13/9/13

(एस0एम0 अब्बास रिज़वी)
प्रशासक

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

आदेश

वक्फ हुसैनी सरॉए पंजीयन संख्याः I–1546 रामपुर की भूमि जोकि हुसैनी सरॉए/धर्मशाला बनाये जाने के लिए वाकिफ द्वारा वक्फ की गयी थी, पर किये गये अवैध निर्माण के संबंध में बोर्ड द्वारा अपने पत्र दिनांक 01–4–2012 के अन्तर्गत प्रकरण की जांच कराये जाने के संबंध में अपर सर्वे आयुक्त वक्फ/जिलाधिकारी, रामपुर द्वारा पत्रांक–12/वक्फ नं0 I–1546/हु0स0–जांच–12 दिनांक अप्रैल 09, 2012 बोर्ड को प्राप्त करायी गयी जोकि वक्फ की पत्रावली पर मौजूद है। बोर्ड की बैठक दिनांक 03–02–2015 में बोर्ड के समक्ष उक्त जांच आख्या प्रस्तुत की गयी जिसका अवलोकन किया गया। जांच आख्या की शर्त संख्या–6 में लिखा है कि "दुकानों के निर्माण के पश्चात वक्फनामा के अुनसार मुसाफिरखाना (धर्मशाला) का निर्माण करायेंगे परन्तु स्थलीय जांच करने के बाद यह बात संज्ञान में आयी कि दुकानों के निर्माण के ऊपर मुसाफिरखाना के निर्माण का कोई प्राविधान नहीं रखा गया है। उक्त दुकानों के लेआउट के अनुसार भूमितल पर निर्मित दूकानों के ऊपर प्रथम दृष्टया मुसाफिरखाने के निर्माण हेतु इस प्रकार के प्लान की कोई अभिकल्पना नहीं की गयी है और स्वीकृत मानचित्र के लेआउट के अनुसार इतने बड़े व्यवसायिक निर्माण हेतु वाहन की पार्किंग, अग्निशमन के संबंध में व रेन वाटर हारवेस्टिंग का भी कोई प्राविधान नहीं किया गया है, जैसा कि सहायक अभियन्ता, रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर की आख्या दिनांक 06–02–2012 स्पष्ट है" तथा जांच आख्या में यह भी लिखा पाया गया कि "जांच के समय यह भी पाया गया कि श्री नवाब काज़िम अली खां, मुतवल्ली ने हुसैनी सराए की वक्फ भूमि पर उक्त दुकानों का निर्माण प्राईवेट बिल्डर (माजिया कंसट्रक्शन कम्पनी) द्वारा कराया गया, जबकि शिया सेन्ट्रल बोर्ड आफ वक्फ, लखनऊ द्वारा मात्र मुतवल्ली को दुकानात निर्माण कराये जाने की अनुमति दी गयी थी और मुतवल्ली को प्राइवेट बिल्डर से अनुबन्ध करने की अनुमति नहीं दी गयी थी। शिया सेन्ट्रल बोर्ड आफ वक्फ की अनुमति के अनुसार मुतवल्ली द्वारा स्वयं निर्माण न करा कर माजिया कन्सट्रक्शन कम्पनी से निर्माण कराया जाना पाया, जो शिया वक्फ बोर्ड से प्राप्त अनुमति के विपरीत है। अभिलेखीय परीक्षण के उपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत अनुबंध में हुसैनी सराए बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि मुतवल्ली द्वारा शिया वक्फ बोर्ड को भ्रमित कर वक्फ बोर्ड की शर्तों का स्वार्थ पूर्ति व भारी मुनाफा कमाने की नियत से उल्लंघन किया गया है।

रामपुर स्टेट गजट दिनांक 26 अप्रैल 1942 जिल्द संख्या 55 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नवाब रज़ा अली खां द्वारा हज़रत इमाम हुसैन के मसाइबे सफर की यादगार कायम करने के लिए एक मुसाफिर खाना हुसैनी सराए के नाम से कायम किया जाना था, जिसमें विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग जो रामपुर आयेंगे उनको ठहरने का एक उचित स्थान प्राप्त हो सके, किन्तु नवाब रज़ा अली खां (वाकिफ) की मन्शा एवं उद्देश्य के विपरीत संबंति मुतवल्ली द्वारा उक्त भूमि पर भारी मुनाफा कमाने के दृष्टिकोण से शापिंग काम्पलैक्स का निर्माण कराया गया है और शापिंग काम्पलैक्स की दुकानों का आवंटन मोटी रकम बिल्डर द्वारा प्राप्त कर मुतवल्ली की

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

सांठ–गांठ से प्राईवेट बिल्डर ने धर्मार्थ वक्फ संपत्ति का अस्तित्व समाप्त किया है, जो वफडीड एवं वक्फ अधिनियम के विरूद्ध है"। जांचोपरान्त प्रकरण में उपरोक्त जो अनियमितताएं पायी गयी हैं वे अति–गम्भीर हैं। इससे यह स्पष्ट है कि वक्फ के पूर्व मुतवल्ली नवाब काज़िम अली खां द्वारा माज़िया कान्सट्रक्शन्स कम्पनी के प्रोप्राइटर श्री नासिर अली खां पुत्र श्री अनवर अली खां, निवासी: मस्जिद कैथ, रामपुर से सांठ–गांठ कर मोटी रकम प्राप्त कर खुर्द–बुर्द की है जोकि अपराध की श्रेणी में आता है। बोर्ड इस प्रकरण में यह निर्णय लेता है कि वक्फ की सुरक्षा के हित में पूर्व मुतवल्ली श्री नवाब काजिम अली खां पुत्र नवाब जुल्फिकार अली खां, निवासी–नूर महल, रामपुर एवं श्री नासिर अली खां पुत्र श्री अनवर अली खां, निवासी: मस्जिद कैथ, रामपुर के विरूद्ध संबंधित थाना रामपुर में मुकदमा पंजीकृत करा दिया जाये। प्रशासनिक अधिकारी पुलिस अधीक्षक, रामपुर को बोर्ड के निर्णय के अनुसार प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने हेतु पत्र निर्गत करें।

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

बोर्ड की बैठक दिनांक 20–01–2015 को बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों के समक्ष बोर्ड के मा0 अध्यक्ष की अनुमति से वक्फ हुसैनी सरॉए, पंजीयन संख्याः I–1546, जनपद–रामपुर में पूर्व मुतवल्ली श्री नवाब काज़िम अली खां द्वारा अवैध तरीके से माज़िया कान्सट्रक्शन्स कम्पनी से अनुबन्ध किये जाने संबंधित पत्रावली प्रस्तुत की गयी जिस पर विचार–विमर्श के उपरान्त बैठक में मौजूद मा0 सदस्यों की बहुमत से यह निर्णय लिया गया है कि वक्फ हुसैनी सरॉए, I–1546, रामपुर बोर्ड के अभिलेखों में नियमानुसार पंजीकृत है। वक्फ हुसैनी सरॉए की खाली पड़ी भूमि पर पूर्व मुतवल्ली वक्फ नवाब काजिम अली खां द्वारा बोर्ड को भ्रमित कर दुकानों के निर्माण हेतु सशर्त अनुमति प्राप्त की थी परन्तु स्थल पर बोर्ड द्वारा दी गयी अनुमति के विपरीत निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए वक्फ सम्पत्ति से खुर्द–बुर्द कर अवैध रूप से निर्माण कराया जिस पर बोर्ड द्वारा निरीक्षण कर व प्रकरण में जिलाधिकारी से आख्या प्राप्त कर उक्त निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिनांक 10–4–2012 जारी किया, परन्तु उक्त आदेश का अनुपालन अभी तक जिलाधिकारी/अपर सर्वे आयुक्त, रामपुर द्वारा सुनिश्चित नहीं कराया गया। उक्त प्रकरण पुनः विचार हेतु वक्फ की सुरक्षा की दृष्टि से बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड की बैठक में उपस्थित सदस्यों की बहुमत से प्रकरण में वक्फ हुसैनी सरॉए की पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा विचार–विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि वक्फ हुसैनी सरॉए I–1546, रामपुर में वक्फ बोर्ड द्वारा दी गयी अनुमति के विपरीत कार्य किया गया है। वक्फ की सम्पत्ति से पूर्व मुतवल्ली द्वारा अवैध रूप से लंबी रकम वसूल की गयी है। पूर्व मुतवल्ली नवाब काजिम अली खां द्वारा एक प्राइवेट बिल्डर माजिया कान्सट्रक्शन्स कम्पनी से उक्त वक्फ सम्पत्ति पर अवैध निर्माण कराया गया तथा निर्माण के संबंध में मुतवल्ली द्वारा माजिया कान्सट्रक्शन्स कम्पनी से अनुबन्ध किया गया जो बोर्ड द्वारा दिनांक 01–4–2012 को एक आदेश जिलाधिकारी/अपर सर्वे आयुक्त, रामपुर को जारी करते हुए निर्देशित किया कि प्रकरण की जांच कर आख्या बोर्ड को उपलब्ध करायें तथा यह भी निर्देशित किया कि वक्फ सम्पत्ति पर बनी अवैध दुकानों को वक्फ हुसैनी सरॉए की भूमि की सुरक्षा की दृष्टि से बोर्ड के अग्रिम आदेशों तक सील कर दे, ताकि पूर्व मुतवल्ली व अनाधिकृत व्यक्ति वक्फ पर बनी अवैध दुकानों को किसी अनाधिकृत व्यक्ति को हस्तांतरित न करने पाये। उक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी/अपर वक्फ सर्वे आयुक्त, रामपुर द्वारा समस्त दुकानें जोकि वक्फ हुसैनी सरॉए की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित थी, को सील कर दिया गया। बोर्ड को इस संबंध में जिलाधिकारी रामपुर के माध्यम से जांच करा कर आख्या 12/वक्फ नम्बर I–1546/ह0स0–जांच/12 दिनांक 09–4–2012 प्रस्तुत की गयी। जांच हेतु गठित जांच कमेटी द्वारा अपनी आख्या से बोर्ड को अवगत कराते हुए बोर्ड द्वारा वक्फ हुसैनी सरॉए में दी गयी छः शर्तों पर आधारित अनुमति पर बिन्दुवार आख्या प्रस्तुत की। **संख्या–1 के विषय में जांच के समय पाया गया कि 98 दुकानें वक्फ बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गयी है परन्तु स्थल पर निरीक्षण के दौरान सहायक अभियन्ता, रामपुर**

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

विकास प्राधिकरण की आख्या के अनुसार वक्फ बोर्ड की स्वीकृति के अतिरिक्त 14 दुकानों का निर्माण अधिक पाया गया। इसमें से 10 दुकानों का निर्माण कार्य अभी डी0पी0सी0 तल तक किया गया है। इस प्रकार वक्फ बोर्ड की प्रथम शर्त का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया गया। बोर्ड की शर्त नं0–2: यहकि दुकानों के निर्माण हेतु प्रस्तुत किये गये आकड़ों के अनुसार ही निर्माण कराया जायेगा, के संबंध में जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत आख्या में लिखा गया है कि शर्त संख्याः 2: के विषय में जांच के समय पाया गया कि दुकानों के निर्माण हेतु प्रस्तुत किये गये आंकरड़ (नक्शे) के अनुसार निर्माण नहीं कराया गया है। मौके पर स्थलीय निरीक्षण के समय कुछ दुकानें प्रस्तावित आंकरड़ (नक्शे) से भिन्न पायी गयी हैं। बोर्ड की शर्त नं0–4: यहकि निर्माण के बाद 68 व 30 दुकानों की किरायेदारी जिसके निर्माण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की जा रही है की किरायेदारी नियमानुसार सर्किल रेट से की जायेगी, के संबंध में जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत आख्या में लिखा गया है कि शर्त सं0–4: के विषय में कहना है कि किरायेदारी सर्किल रेट पर होना नहीं पाया गया। श्री वली उल्ला खां पुत्र सईदुउल्ला खां, निवासी ज्यारत हल्के वाली, रामपुर के हुसैनी सराय व्यवसायिक केन्द्र के पंजीकरण प्रपत्र रसीद दिनांक 27–01–2012 से स्पष्ट है कि दो दुकानों के आवंटन हेतु रू0 1,55,000.00 पगड़ी के रूप में तथा दुकान का मासिक किराया रू0 400 प्रतिमाह की दर 11 माह का प्रति दुकान का अनुबंध किया गया है (पंजीकरण प्रपत्र एनेक्सर 3) के रूप में संलग्न है। जबकि उक्त स्थल का किरायेदारी सर्किल रेट रू0 2156 है। इस प्रकार समस्त दुकानों का पंजीकरण उपरोक्तानुसार ही किया गया है, जो सर्किल रेट एवं वक्फ बोर्ड के निर्देशों के विपरीत है। बोर्ड की शर्त नं0–6: यहकि कुल 98 दुकानों के निर्माण के पश्चात वक्फनामें के अनुसार मुसाफिरखाना (हुसैनी सराय) बनाये जाने हेतु दुकानों की छत पर मुसाफिरखाने का मानचित्र व आकरण बोर्ड के समक्ष शीघ्र अति शीघ्र प्रस्तुत करें, के संबंध में जांच कमेटी द्वारा प्रस्तत आख्या में लिखा गया है कि शर्त सं0–6: के विषय में कहना है कि दुकानों के निर्माण के पश्चात् वक्फनामें के अनुसार मुसाफिरखाना (हुसैनी सराय) का निर्माण करायेंगे परन्तु स्थलीय निरीक्षण के पश्चात यह संज्ञान में आया कि दुकानों के निर्माण के ऊपर मुसाफिरखाने के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया। उक्त दुकानों के ले आउट के अनुसार भू–तल पर निर्मित दुकानों के ऊपर प्रथम दृष्टतः मुसाफिरखाने के निर्माण हेतु इस प्रकार के प्लान की कोई अभिकल्पना नहीं की गयी है और स्वीकृत मानचित्र के ले आउट के अनुसार इतने बड़े व्यवसायिक निर्माण हेतु वाहन की पार्किंग, अग्नि शमन के संबंध में व रेन वाटर हर्वेस्टिंग का कोई भी प्रस्ताव नहीं किया गया है, जैसाकि सहायक अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर की आख्या दिनांक 06–4–2012 स्पष्ट है। जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत की गयी आख्या से यह स्पष्ट हो गया कि नवाब काज़िम अली खां ने वक्फ हुसैनी सराए की भूमि पर प्रश्नगत दुकानों का निर्माण प्राइवेट बिल्डर माज़िया कान्सट्रक्शन्स कम्पनी द्वारा कराया है जबकि शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा मात्र मुतवल्ली को दुकानात बनाने की अनुमति दी गयी थी और मुतवल्ली को प्राइवेट बिल्डर्स से कोई अनुबन्ध करने की अनुमति नहीं दी थी

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

जोकि घोर अनियमितता है। प्राप्त जांच कमेटी की आख्या से यह भी प्रकाश में आया कि पूर्व मुतवल्ली नवाब काज़िम अली खां द्वारा बोर्ड को भ्रमित कर जो अनुमति प्राप्त की गयी थी उनके द्वारा किया गया अवैध माजिया कान्सट्रक्शन्स कम्पनी से किये गये अनुबन्ध में वक्फ हुसैनी सरॉए बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह स्पष्ट है कि मुतवल्ली द्वारा अपने निजी स्वार्थ में भारी मुनाफा कमाने की नीयत से बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माण कराया गया, जो वाकिफ की मन्शा के विपरीत भी है। जांच कमेटी की आख्या में भी उल्लिखित है तथा बोर्ड के अभिलेखों में भी मौजूद है कि रामपुर स्टेट गजट दिनांक 26 अप्रैल, 1942 जिल्द संख्या–55 में स्पष्ट लिखा है कि नवाब रज़ा अली खां द्वारा हज़रत इमाम हुसैन के मसायब–ए–सफर की यादगार कायम रखने के लिए एक मुसाफिरखाना हुसैनी सरॉए के नाम से कायम किया जाये जिसका उछ्देश्य यह था कि जिसमें विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग जो रामपुर आये उनके ठहरने का एक उचित स्थान प्राप्त हो सके। परन्तु नवाब रज़ा अली खां (वाकिफ) की मन्शा एवं उद्देश्य के विपरीत पूर्व मुतवल्ली नवाब काज़िम अली खां द्वारा उक्त भूमि पर भारी मुनाफा कमाने की दृष्टि से शॉपिंग काम्पलेक्स का निर्माण करा दिया गया और शॉपिंग काम्पलेक्स की दुकानों का आवंटन के संबंध में भारी रकम वसूल कर प्राईवेट बिल्डर्स से सांठ–गांठ करके धर्मार्थ वक्फ सम्पत्ति का अस्तित्व समाप्त कर दिया जो वक्फनामा में दी गयी शरायतों के विरूद्ध है। पूर्व मुतवल्ली नवाब काज़िम अली खां द्वारा दिनांक 06–02–2011 को श्री नासिर अली खां पुत्र श्री अनवर अली खां निदेशक, माजिया कान्सट्रक्शन्स कम्पनी, निवासी–मस्जिद कैथ, रामपुर से बिना बोर्ड की अनुमति अनुबन्ध किया कि हुसैनी सरॉए जिसका रक्बा 06 हज़ार वर्ग गज़ है पर श्री नासिर अली खां द्वारा एक शॉपिंग काम्पलेक्स का निर्माण मए मिटीरियल से करायेंगे और शॉपिंग काम्पलेक्स तैयार होने पर जो दुकानें किराये पर उठायी जायेंगी उसकी वसूली श्री नासिर अली खां करेंगे और रकम स्वयं अपने पास रखेंगे। इस रकम का मुतवल्ली से कोई वास्ता न होगा और वक्फ में जमा नहीं होगी। इस अनुबन्ध में मुसाफिरखाना का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया। इससे यह स्पष्ट है कि पूर्व मुतवल्ली द्वारा बोर्ड की शर्तों के विपरीत मौके पर कोई मुसाफिरखाना बनाये जाने का कोई इरादा नहीं था और वक्फ सम्पत्ति से होने वाली आय को उन्होंने निजी सम्पत्ति की तरह अनाधिकृत व्यक्ति श्री नासिर अली खां को हस्तांतरित कर दिया जोकि घोर वित्तीय अनियमितता है। वक्फ की पत्रावली का अवलोकन कर यह भी प्रकाश में आया कि वक्फ हुसैनी सरॉए, रामपुर के नवाब स्व0 रजा अली खां द्वारा सन् 1942 में यात्रियों को ठहरने हेतु सरॉए (धर्मशाला) के निर्माण के लिए वक्फ की थी। वक्फ के पूर्व मुतवल्ली श्री काजिम अली खां द्वारा बोर्ड को जो प्रस्ताव दिनांक 13–8–2009 देकर अनुरोध किया था कि बोर्ड अपने आदेश दिनांक 15–03–2002 के अन्तर्गत 68 दुकानों की अनुमति हुसैनी सरॉए को सम्पत्ति पर प्रदान कर चुका है उनके द्वारा बोर्ड के आदेश की छायाप्रति भी प्रस्ताव के साथ संलग्न की गयी थी। उक्त संलग्न बोर्ड का आदेश दिनांक 15–3–2002 जिसकी मूल प्रति बोर्ड की वक्फ की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। वक्फ के पूर्व मुतवल्ली श्री नवाब

شیعہ مرکزی وقف بورڈ-اترپردیش

فرد احکام

काजिम अली खां द्वारा उक्त आदेश दिनांक 15–3–2012 बोर्ड को प्राप्त कराया था। बोर्ड द्वारा प्रकरण में नवाब काजिम अली खां पूर्व मुतवल्ली वक्फ के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए जो हुसैनी सरॉए पर दुकानें बनाये जाने हेतु निर्माण को स्वीकृति प्रदान की थी जिसमें स्पष्ट लिखा गया था कि दुकानों की छत पर वक्फडीड के अनुसार हुसैनी सरॉए (मुसाफिरखाना) बनाया जायेगा जोकि पूर्व मुतवल्ली द्वारा बोर्ड को प्राप्त कराये गये प्रस्ताव में उल्लिखित था। बोर्ड द्वारा यह भी निर्धारित किया गया था कि दुकानों का किराया क्षेत्रीय बाजार दर से प्राप्त किया जायेगा। जांच कमेटी द्वारा प्रकरण में उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या से स्पष्ट है कि वक्फ के पूर्व मुतवल्ली श्री नवाब काजिम अली खां द्वारा बोर्ड को गुमराह कर वक्फ हुसैनी सरॉए की सम्पत्ति पर अपने आवेदन दिनांक 13–8–2009 के अन्तर्गत जो अनुमति मांगी थी जिसको स्वीकार करते हुए बोर्ड ने संबंधित मुतवल्ली को निर्माण कराये जाने हेतु अनुमति दी थी परन्तु वक्फ के मुतवल्ली को यह अधिकार नहीं दिया था कि वह वक्फ सम्पत्ति पर किसी प्राइवेट बिल्डर से अनुबन्ध करें और वक्फ की आय को किसी अनाधिकृत व्यक्ति को हस्तांतरित कर दें। नवाब काज़िम अली खां पूर्व मुतवल्ली वक्फ द्वारा श्री नासिर अली खां के पक्ष में वक्फ हुसैनी सरॉए के संबंध मे किया गया अनुबन्ध दिनांक 06–02–2011 विधि विपरीत वाकिफ की मन्शा के विपरीत तथा यह कृत घोर मुतवल्ली की अनियमितता को दर्शाता है और वक्फ हित के विपरीत है। उक्त अवैध अनुबन्ध दिनांक 06–02–2011 जोकि पूर्व मुतवल्ली नवाब काज़िम अली खां जो श्री नासिर अली खां से किया गया था जिसमें वक्फ की आय को श्री नासिर अली खां को हस्तांतरित किया गया था इस संबंध में अनुबन्ध में स्पष्ट लिखा था कि रकम से प्रथम पक्ष अर्थात मुतवल्ली से कोई वास्ता न होगा और न ही वक्फ के खाते में जमा की जायेगी। यह घोर वित्तीय अनियमितता है। वक्फ से होने वाली आय को बिना बोर्ड की अनुमति किसी अन्य को हस्तांरित नहीं किया जा सकता। किसी भी वक्फ के मुतवल्ली को वक्फ अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत यह अधिकार प्राप्त नहीं है। जांच आख्या दिनांक 09–4–2012 से यह स्पष्ट हो गया था कि अवैध रूप से पूर्व मुतवल्ली नवाब काजिम अली खां द्वारा माजिया कान्सट्रक्शन्स कम्पनी से किये गये अनुबन्ध के अन्तर्गत माजिया कान्सट्रक्शन्स कम्पनी द्वारा वक्फ हुसैनी सरॉए की सम्पत्ति पर दुकानों का निर्माण कराया गया है तथा उक्त निर्माण में वाकिफ की मन्शा के अनुसार मुसाफिरखाना बनाये जाने का प्रस्ताव नहीं है। उक्त अवैध निर्माण वाकिफ की मन्शा के विपरीत है। वक्फ बोर्ड द्वारा निर्माण हेतु दी गयी अनुमति का उल्लंघन करते हुए किया गया अवैध निर्माण है। बोर्ड द्वारा इस संबंध में अपने आदेश दिनांक 10–4–2012 के अन्तर्गत निर्माण को अवैध घोषित करते हुए निर्माण के संबंध में जारी की गयी बोर्ड की अनुमति को निरस्त कर दिया है और उक्त निर्माण को वक्फ हित में ध्वस्त किया जाना समझते हुए उक्त अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर चुका है। बोर्ड पुनः अपने पूर्व आदेश दिनांक 10–4–2012 पर कायम रहते हुए इस संबंध में यह निर्णय लेता है कि वक्फ हुसैनी सरॉए, I–1546 की भूमि पर जो अवैध

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

निर्माण पूर्व मुतवल्ली नवाब काजिम अली खां द्वारा अवैध रूप से माजिया कान्स्ट्रक्शन्स कम्पनी से अनुबन्ध कर कराया गया था उसे तत्काल ध्वस्त कराया जाये। इस संबंध में बोर्ड जिलाधिकारी/अपर सर्वे आयुक्त, रामपुर को निर्देशित करता है कि वक्फ हुसैनी सराए पर किये गये अवैध दुकानों के निर्माण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करने के साधन उपलब्ध कराते हुए ध्वस्त करा दें। उक्त निर्माण के ध्वस्तीकरण में जो भी खर्च आयेगा उसकी वसूली पूर्व मुतवल्ली नवाब काजिम अली खां से करायी जाये तथा प्रशासनिक अधिकारी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह पूर्व मुतवल्ली नवाब काजिम अली खां द्वारा वक्फ सम्पत्ति पर अवैध निर्माण करा कर माजिया कान्सट्रक्शन्स कम्पनी से वक्फ सम्पत्ति के बदले में अपने निजी स्वार्थ हेतु जो रकम वसूल करके खुर्द–बुर्द कर ली है, के संबंध में आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, रामपुर को पत्र जारी करें।

बोर्ड की बैठक में उपस्थित सदस्यों की बहुमत से उपरोक्त लिया गया निर्णय बैठक की अध्यक्षता कर रहे बोर्ड के मा0 अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया और प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(डॉ० वसीम रिज़वी)
अध्यक्ष
शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड उ० प्र०

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

बोर्ड की बैठक दिनांक 03–02–2015 को बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों के समक्ष बोर्ड के मा0 अध्यक्ष की अनुमति से वक्फ हुसैनी सरॉए, पंजीयन संख्याः I–1546, जनपद–रामपुर में पूर्व मुतवल्ली श्री नवाब काज़िम अली खां द्वारा अवैध तरीके से माज़िया कान्सट्रक्शन्स कम्पनी से अनुबन्ध किये जाने संबंधित पत्रावली प्रस्तुत की गयी जिस पर विचार–विमर्श के उपरान्त बैठक में मौजूद मा0 सदस्यों की बहुमत से यह निर्णय लिया गया है कि बोर्ड द्वारा वक्फ हुसैनी सरॉए, I–1546, रामपुर पर अवैध कब्जे के सबंध में किया गया आदेश दिनांक 20–01–2015 के कम में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गयी जांच के उपरान्त प्रस्तुत की गयी आख्या का अवलोकन किया गया। वक्फ हुसैनी सरॉए शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड में वाकिफ द्वारा हुसैनी सरॉए बनाये जाने की नीयत से वक्फ की गयी है। उक्त वक्फ सम्पत्ति पर बनी कुछ अवैध दुकानें जिसका प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचाराधीन था। बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 20–01–2015 में उक्त प्रकरण में निर्णय लेते हुए प्रश्नगत अवैध दुकानों को ध्वस्त किये जाने का निर्णय लिया था जिसका अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए जिलाधिकारी/अपर सर्वे आयुक्त, रामपुर द्वारा वक्फ सम्पत्ति पर वाकिफ की मन्शा के विपरीत वक्फ सम्पत्ति पर बनी उक्त अवैध दुकानों को ध्वस्त करा दिया गया है, परन्तु जांच अधिकारी की आख्या के अनुसार वक्फ सम्पत्ति पर वर्तमान में अन्य कई अवैध कब्जा मौजूद है, वह भी वाकिफ की मन्शा के विपरीत हैं। बोर्ड वक्फ हुसैनी सरॉए, I–1546, रामपुर में कुल वक्फ सम्पत्ति पर समस्त अवैध निर्माण को हटाये जाने का निर्णय लेते हुए जिलाधिकारी/अपर सर्वे आयुक्त, रामपुर को निर्देशित करता है कि वह वक्फ की सम्पत्ति की पैमाइश वक्फ के अभिलेखों व नक्शा के अनुसार करा कर वक्फ सम्पत्ति पर जो भी अवैध निर्माण पाया जाये उन्हें नियमानुसार तत्काल ध्वस्त करायें व ध्वस्तीकरण में जो भी खर्च आये उसका भुगतान भी अवैध कब्जेदार से वसूल किया जाये।

बोर्ड की बैठक में उपस्थित सदस्यों की बहुमत सें उपरोक्त लिया गया निर्णय बैठक की अध्यक्षता कर रहे बोर्ड के मा0 अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया और प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(सैय्यद वसीम रिज़वी)
अध्यक्ष
शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, उ० प्र०

शिया सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक़्फ़स, उ० प्र०
८१७, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ
Shia Central Board of Waqfs, U.P.
817, Indira Bhawan, Ashok Marg, Lucknow
Ph. : 0522-2286497, 3209108

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش
۸۱۷، اندرا بھون، اشوک مارگ، لکھنؤ
فون نمبر : ۰۵۲۲-۲۲۸۶۴۹۷، ۳۲۰۹۱۰۸

Ref. No. 594

Dated : 03-02-2015

प्रेषक,

सै० गुलाम सय्यदैन रिज़वी,
प्रशासनिक अधिकारी।

सेवा में,

ज़िलाधिकारी / अपर वक्फ आयुक्त,
जनपद–रामपुर।

विषयः–वक्फ हुसैनी सरॉए, रामपुर की सम्पत्ति पर अवैध निर्माण के संबंध में।

महोदय,

वक्फ हुसैनी सरॉए, रामपुर पंजीयन संख्याः I–1546 में अवैध निर्माण के संबंध में बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 03–02–2015 के अन्तर्गत निर्णय लिया है कि प्रश्नगत वक्फ में बोर्ड के आदेश दिनांक 20–01–2015 के अनुपालन में अवैध दुकानों के किये गये ध्वस्तीकरण के बाद भी वक्फ सम्पत्ति पर अनेक अवैध निर्माण व अवैध कब्जे मौजूद हैं जिसको कब्जा–मुक्त कराते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया जाये।

बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में पत्र के साथ वक्फ हुसैनी सरॉए रामपुर की वक्फ सम्पत्ति का ब्यौरा जोकि बोर्ड के अभिलेखों मे पंजीकृत है, संलग्न करते हुए तथा उक्त वक्फ सम्पत्ति के अनुसार दस्ती नक्शा संलग्न करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि नक्शे के अनुसार वक्फ सम्पत्ति की पैमाइश करा कर वक्फ हुसैनी सरॉए की सम्पूर्ण वक्फ सम्पत्ति को कब्जा–मुक्त कराते हुए तथा वक्फ सम्पत्ति पर शेष बचे अवैध निर्माणों को नियमानुसार ध्वस्त कराते हुए बोर्ड के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण में जो भी खर्च आये उसका भुगतान अवैध कब्जेदार से वसूल करें।

भवदीय

3.2.2015

(सै० गुलाम सय्यदैन रिज़वी)
प्रशासनिक अधिकारी

शिया सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ वक़्फ़स, उ० प्र०
८१७, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ
Shia Central Board of Waqfs, U.P.
817, Indira Bhawan, Ashok Marg, Lucknow
Ph. : 2286749

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش
۸۱۷، اندرا بھون، اشوک مارگ، لکھنؤ
فون نمبر : ۲۲۸۶۷۴۹

Ref. No. 568

Dated : 23-01-2015

प्रेषक,

सै0 गुलाम सय्यदैन
प्रशासनिक अधिकारी,
शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी/अपर वक्फ सर्वे आयुक्त,
रामपुर।

विषय :– वक्फ हुसैनी सरांय, रामपुर पर अवैध निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, उ0प्र0, द्वारा अपनी बैठक दिनांक 20/01/2015 में वक्फ हुसैनी सरांय, रामपुर पर वाकिफ़ की मंशा के विपरीत कराये गये निर्माण को अवैध घोषित करते हुए उसे वक्फ हित में ध्वस्त कराये जाने का निर्णय लिया है। बोर्ड के द्वारा उपरोक्त लिये गये निर्णय की छायाप्रति संलगन करते हुए आपसे अनुरोध है कि बोर्ड द्वारा वक्फ हुसैनी सरांय रामपुर पर कराये गये अवैध निर्माण को बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार ध्वस्त कराते हुए निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करा कर की गयी कार्यवाही से बोर्ड को अवगत करायें।

भवदीय

23.1.2015

(सै गुलाम सय्यदैन)
प्रशासनिक अधिकारी

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

5680) 1. श्री वसीम मियां, मुन्तजिम मुतवल्ली, औकाफ़ रामपुर।

23-1-2015

(सै गुलाम सय्यदैन)
प्रशासनिक अधिकारी